उत्तर प्रदेश शासन,
श्रम अनुभाग-3
संख्या:- 02/2024/707/36-03-2024-1619905
लखनऊ : दिनांक : 09 जुलाई, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम मजूदरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) तथा धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या–02/2023/905/36-03-2023-01(अधि0)-2005 दिनांक 26 मई, 2023 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें, निम्नानुसार नियत और पुनरीक्षित करते हैं :-

क्रम संख्या	कृषि कार्य का प्रकार	सम्भाग	व्यस्क कर्मकारों के लिये मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें
1	भूमि को जोतना और बोना, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन, खेती उगाना और काटना, खेती उपज के विपणन के लिये तैयारी और भंडार में या मंडी में वितरण या मंडी तक परिवहन के लिये वहन और म्यूनिसिपल या कैन्टूनमेंट सीमाओं के छः किलोमीटर के भीतर स्थित फार्म सम्मिलित करते हुए समस्त आकार के फार्मों में, मशरूम की खेती सहित कृषि कार्यों के आनुषंगिक या उनके साथ-साथ की जाने वाली कोई क्रियाएं।	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश	रूपये 6162 /- प्रतिमाह या रूपये 237/- प्रतिदिन
2	वन संबंधी या काष्ठ उपकरण सम्बन्धी क्रिया, जो कृषि कार्यों के साथ साथ की		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in
UNICOMPLYCARE
Simplifying Compliance

	जाती है।		
3	दुग्ध उद्योग, पशुधन में वृद्धि, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन और उनकी आनुषंगिक क्रियाएं।		

2- न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नकद या कर्मचारियों की सहमति से जिसमें अंशतः नकद या अशंतः जिन्स में, इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य, किसी भी दशा में विहित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम न हो।

3- मजदूरी की प्रति घंटा दरें, दैनिक दरों के 1/6 भाग से कम न होगी।

4- किशोरों और बालकों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, किसी वयस्क कर्मचारी को अनुमन्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

5- किसी भी रूप में मजदूरी की दरें, किसी कर्मचारी के हित के प्रतिकूल लागू न होंगी अर्थात् यदि इस अधिसूचना के अधीन विहित दरों से अधिक मजदूरी की दरों का भुगतान किया जा रहा है तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा और इन्हें इस अधिसूचना के अधीन विहित मजदूरी की न्यूनतम दर समझा जाएगा।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 02/2024/707(1)/36-03-2024 तददिनांक</u>

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 09 जुलाई, 2024 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड-ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियॉं श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ एवं 50 प्रतियां श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर पत्र पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

2- श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर ।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र०)

4- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/निदेशक दूरदर्शन तथा निदेशक आकाशवाणी को जनसाधारण के प्रचार-प्रसार हेतु ।

5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कुणाल सिल्कू)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Shram Anubhag–3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 02/2024/707/xxxvi-03-2024-1619905 dated 09 July , 2024

Notification

No. 02 /2024/707 / xxxvi-03-2024-1619905
Lucknow ; Dated : 09 July, 2024

In exercise of the powers under clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (3) of sub-section (1) of section 4 and clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act no. 11 of 1948) and in supersession of Notification no. 02/2023/905/XXXVI-03-2023-01(Estb.)-2005 dated 26 May, 2023, the Governor is pleased to fix and revise, with effect from the April 01, 2024, the minimum rates of wages payable to the employees employed in agriculture employment in the State of Uttar Pradesh.

S. No.	Type of agricultural work	Region	All inclusive of minimum rates of wages for adult workers.
1.	Cultivation and tillage of soil, production, cultivation, growing and harvesting of any agricultural commodity, preparation for marketing and delivery to storage or to market or to carriage for transportation to market of farm produce and any practices incidental to or in conjunction with farm operations including mushroom cultivation in farms of all sizes, including those within six kilometers of municipal or cantonment limits.	Whole of Uttar Pradesh	Rs. 6162/- per month or Rs. 237/- per day.
2.	Forestry or timbering operation performed by conjunction with farm		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	operations.		
3.	Dairy farming, raising of livestock, beekeeping, poultry farming and their incidental operations.		

2. The minimum wages may be paid in cash or, where so agreed by the employees, in kind or partly in cash and partly in kind, so however, that the total value of the wages shall in no case, be less than the minimum prescribed rates.

3. The hourly rates of wages shall not be less than 1/6 of the daily rates.

4. The minimum time-rate wages payable to adolescents and children shall not be less than time-rate wage admissible to an adult employee.

5. The rates of wages shall not in any way operate to the prejudice of any employee, i.e., if more rates of wages are being paid than those prescribed under this notification, they would continue to be paid and they would be deemed to be the minimum rate of wages prescribed under this notification.

By order,

(Anil Kumar)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in
UNCOMPLYCATE
Simplifying compliance

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।